# न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

**पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.**

**राजस्व अपील संख्या : 20/2016 G.C.M.S. No. 2016/00458 दर्ज दिनांक : 23.02.2016**

**अपीलार्थिगण:**

पीथा पुत्र वेला, जाति मेणा के कायम मुकामः–

1. गजीबाई पुत्री पीथा पत्नि मोडाराम, जाति मीणा, निवासी बिठीया के कायम मुकामः–
   - 1/1 रताराम पुत्र मोडाराम, जाति मीणा, निवासी उम्मेदपुर, तहसील आहोर, जिला जालोर।
   - 1/2 मगनी बाई पुत्री मोडारामजी, जाति मीणा, निवासी बिठीया, हाल निवासी नेतरा, तहसील सुमेरपुर व जिला पाली।
   - 1/3 हिरी बाई पुत्री मोडारामजी, जाति मीणा, निवासी बिठीया, हाल निवासी लेटा, तहसील व जिला जालोर।
2. गेरी पुत्री पीथा पत्नि रामाजी, जाति मीणा, निवासी बिठीया, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली हाल निवासी तखतगढ़, तहसील सुमेरपुर जिला पाली के कायम मुकामः–
   - 2/1 खीमाराम पुत्र रामारामजी
   - 2/2 नारायण पुत्र रामारामजी
   - 2/3 लीला पुत्री रामारामजी, जाति मीणा, निवासी तखतगढ़, तहसील सुमेरपुर व जिला पाली।
3. चापीदेवी पुत्री पीथा पत्नि भीखाजी, जाति मीणा, निवासी बिठीया, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली हाल निवासी तखतगढ़, तहसील सुमेरपुर जिला पाली।

## बनाम

**प्रत्यर्थिगण:**

सवदा पुत्र अका, जाति राईका के कायम मुकामः–

1. अमरीया उर्फ अमराराम पुत्र सवदाराम
2. जोगा उर्फ जोगाराम पुत्र सवदाराम
3. गजीया उर्फ गजाराम पुत्र सवदाराम

   मृतक मोड़ाराम पुत्र सवदाराम के कायम मुकामः–
4. भूरा उर्फ भूराराम पुत्र मोड़ाराम
5. धोपी बेवा मोडाराम

   मृतक सगराम उर्फ सग्रमाराम पुत्र सवदा के कायम मुकामः–
6. लाला उर्फ लालाराम पुत्र सग्रमाराम
7. रतीया उर्फ रंताराम पुत्र सग्रमाराम
8. सुखी बेवा सग्रमाराम

   मृतक रूपा उर्फ रूपाराम पुत्र सवदा के कायम मुकामः–
9. भलाराम पुत्र रूपाराम
10. टीपुबाई बेवा रूपाराम
11. रतीदेवी पुत्री रूपाराम
12. धन्नीदेवी पुत्री रूपाराम
13. मुन्नादेवी पुत्री रूपाराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

14. पुरणदेवी पुत्री रूपाराम
15. रिंकुदेवी पुत्री रूपाराम, तमाम राईका, निवासीगण बिठीया, तहसील सुमेरपुर व जिला पाली।
16. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार, बाली हाल तहसीलदार सुमेरपुर, तहसील सुमेरपुर व जिला पाली।

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 102/1968 बअनवान पीथा बनाम सवदा वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 29.06.1977 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963**

**पैरोकार–**

1. श्री विरमाराम मीणा, श्री मदनदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री लक्ष्मण के. चौधरी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स।

## निर्णय

दिनांक: 26.09.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 102/1968 बअनवान पीथा बनाम सवदा वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 29.06.1977 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अपीलाण्ट्स के पिता द्वारा विरूद्ध रेस्पोंडेण्ट्स के पिता, पति के विरूद्ध अदालत मातेहत के समक्ष पुश्तैनी वादग्रस्त आराजी जिसके गत खसरा नम्बर 21 रकबा 9.15 बीघा किस्म जवाई नहरी प्रथम एवं खसरा नम्बर 104 रकबा 11.13 बीघा किस्म बारानी अव्वल कुल रकबा 21.08 बीघा मौजा बिठीया, तहसील बाली, हाल तहसील सुमेरपुर में स्थित है जिस खातेदारी भूमि का खातेदार अपीलाण्ट संख्या 1 लगाय 3 के पिताजी पीथा पुत्र वेला, जाति मेणा थें एवं अपने जीवनकाल में काबिज रह काश्त करते थें, अपीलाण्ट्स के पिता की मृत्यु दिनांक 27.12.1996 में हो चुकी हैं। जिस अपीलाण्ट्स के पिता ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 183 आर.टी.ए. 1955 बाबत घोषणा व दिलाने कब्जा बाबत का पेश किया, जिस पर वाद अपीलाण्ट्स को अदालत मातहत द्वारा दर्ज कर रेस्पोंडेण्ट्स को सुनवाई हेतु सम्मन जारी किये गये। जिस पर अदालत मातहत के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 व 5 बाद तामिल अनुपस्थित रहें। जिसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर जैर अपील फैसला पारित किया गया है। जोकि विधिसम्मत नहीं हैं। चूंकि अदालत मातहत द्वारा फैसला जैर अपील सादिर के पूर्व अदालत मातहत द्वारा अपीलाण्ट के पिता द्वारा किसी प्रकार का कोई रजिस्टर्ड बेचाण दिनांक 07.07.1956 को बहक रेस्पोंडेण्ट्स पिता व पति के पक्ष में निष्पादित किया एवं न ही रेस्पोडेण्ट द्वारा बताया जाने वाला तथाकथित बेचाण दस्तावेज दिनांक 07.07.1956 का रेस्पोडेण्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष पेशकर प्रदर्शित ही करवाया गया। इसके

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

अतिरिक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 (ब) अनुसूचित जनजाति के सदस्य की भूमि स्वर्ण जाति के सदस्य को अन्तरित करने का निषेध करती हैं। जो एक विशिष्ट विधि है, जो सामान्य विधि को अतिष्ठित करती है। अतः कानूनन ऐसे शून्य रजिस्टर्ड बेचाण दस्तावेज के आधार पर मीणा अनुसूचित जनजाति के राईका स्वर्ण जाति को खातेदारी हक–हकूक मुन्तकिल नहीं होते हैं और न ही ऐसे दस्तावेज के आधार पर अदालत मातहत को फैसला जैर अपील सादिर करने का कोई अधिकार क्षेत्र ही था, जिस कानून की अहम स्थिति को नजरअंदाज करते हुए शून्य दस्तावेजी साक्ष्य को बिना रेकर्ड पर लिये अपीलाण्ट्स के पिता को खातेदार घोषित नहीं कर वाद अपीलाण्ट खारिज कर दिया तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ, उस समय अपीलाण्ट्स के पिता उक्त वादग्रस्त आराजी के खातेदार थें तथा उक्त तथाकथित रजिस्टर्ड बेचाण दस्तावेज दिनांक 07.07.1956 अपीलाण्ट्स के पिता ने अपने जीवनकाल में कभी निष्पादित नहीं किया था। दिनांक 18.02.2016 को अपीलाण्ट्स उनके पिता की खातेदारी भूमि गत खसरा नम्बर 21 रकबा 9.15 बीघा वर्तमान खसरा नम्बर 55 रकबा 1.4500 हैक्टर किस्म जवाई नहरी प्रथम, गत खसरा नम्बर 104 रकबा 11.13 बीघा वर्तमान खसरा नम्बर 239 रकबा 2.2100 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल भूमि पर अपीलाण्ट्स गयी तो देखा कि रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 लगाय 15 अपीलाण्ट्स के कब्जा–काश्तसुदा भूमि में जबरदस्ती घुस गये तो अपीलाण्ट्स ने रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 लगायत 15 को उक्त भूमि से बाहर निकलने को कहा तो उन्होंने जवाब दिया कि उसके पक्ष में उपखण्ड अधिकारी, बाली द्वारा आदेश पारित किया गया है तथा वे मौका देखकर इस भूमि पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, तब अपीलाण्ट ने रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 लगाय 15 को कहा कि उक्त भूमि उसके मृतक पिता की खातेदारी भूमि है जिस पर अगर आयन्दा पैर रखा तो मुकदमा दर्ज करवायेंगे तब रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 लगाय 15 ने कहा कि ये जमीन तो हमने 1960 में हमारे नाम करवा ली हैं। राजस्व रेकर्ड में हमारा नाम होने से मौके से तुम्हें बेदखल करके कब्जा छुडा लेंगे एवं यह जमीन बेचाण कर देंगे व आयन्दा हम बोयेंगे बाबत धमकियां देने पर अपीलाण्ट्स दिनांक 19.02.2016 को पाली आकर अधिवक्ता मार्फत राजस्व मुकदमा संख्या 102/68 में पारित अपीलाधीन फैसला की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने हेतु दिनांक 19.02.2016 को नकल आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर वापिस दिनांक 22.02.2016 को अपीलाधीन फैसला की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हुई, जिसका अवलोकन करने पर अपीलाण्ट्स को अधिवक्ता ने अपीलाधीन फैसला के बारे में जानकारी दी। दिनांक 22.02.2016 के पूर्व अपीलाधीन फैसला की जानकारी अपीलाण्ट्स को नहीं थीं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील फैसला अपास्त फरमाया जावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट्स के पिता पीथा द्वारा रेस्पोंडेंट्स के पिता व पति सवदा के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में वादपत्र प्रस्तुत किया। जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.09.1968 को वाद संख्या 102/1968 को दर्ज रजिस्टर कर दिनांक 29.06.1977 को वादपत्र खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 09.01.2025 को प्रस्तुत की। जो लगभग 47 वर्ष 7 माह अर्थात लगभग 17365 दिवस के अत्यंत दीर्घ विलंब के साथ पेश की गई। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील के साथ विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट्स के पिता की खातेदारी आराजी थीं। जिस पर रेस्पोंडेंट संख्या 1 लगायत 15 जबरदस्ती घुस गए व अपीलांट्स ने रेस्पोंडेंट्स को बाहर निकलने को कहा। तब उन्होंने कहा कि उनके पक्ष में उपखंड अधिकारी बाली द्वारा आदेश पारित किया गया और हमने सन 1960 में जमीन हमारे नाम करवा ली। राज के रेकर्ड में हमारा नाम होने से तुम्हें बेदखल करके कब्जा छुड़ा लेंगे बाबत धमकियां देने पर अपीलांट्स दिनांक 19.02.2016 को पाली आकर अधिवक्ता के मार्फत फैसले की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु दिनांक 19.02.2016 को आवेदन किया, जो दिनांक 22.02.2016 को प्राप्त हुई। जिससे अपीलांट को अपीलाधीन आदेश के बारे में जानकारी हुई। अतः जानकारी की दिनांक से अपील अंदर म्याद पेश है। अगर अपील पेश करनें में किसी प्रकार की देरी पाई जावें तो माफ फरमावें तथा अपील अंदर म्याद शुमार फरमावें।

2. रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 4, 6 व 9 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी अपीलांट के कथनों का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन निर्णय की म्याद बाहर अपील करीब 40 वर्षों से भी अधिक विलंब से पेश की हैं। जिसे माफ करने के लिए कोई संतोषजनक कारण प्रार्थना पत्र में दिन–ब–दिन का नहीं बताया है। अपील म्याद बाहर होने से प्रथमदृष्टया निरस्त योग्य है। तमाम कृषि भूमि रेस्पोंडेंट के स्वर्गीय पिता द्वारा अपीलांट्स के पिता पीथा से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–विलेख दिनांक 07.07.1956 को खरीद की थीं एवं वक्त खरीद कब्जा प्राप्त कर निर्विवाद रूप से काबिज काश्त है। जिसका सहखातेदारों के बीच आपसी बंटवाड़ा होकर नवीन खाते दर्ज हो गए हैं। उक्त भूमि के संबंध में रेस्पोंडेंट के पूर्वजों के विरूद्ध भूमिधारी तहसीलदार बाली द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था। जो वाद संख्या 229/1983 बअनवान सरकार बनाम पीथा वगैरह से दर्ज किया गया। जो निर्णय दिनांक 16.08.1986 द्वारा खारिज किया गया है। उक्त भूमि के संबंध में जिला कलक्टर पाली के न्यायालय में रेफरेंस प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उप जिलाधीश बाली के निर्णय दिनांक 26.09.1977 के विरूद्ध सरकार बनाम पीथा वगैरह पेश किया। जो राजस्व विविध संख्या 72/1991 दर्ज होकर दिनांक 10.06.1992 को पारित निर्णय अनुसार उप जिलाधीश बाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.09.1977 को सही मानते हुए रेफरेंस खारिज किया गया। जिनके विरूद्ध आज तक कोई अपील प्रस्तुत नहीं हुई। अपीलाधीन निर्णय भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मैरिट पर निर्णित करते हुए वाद खारिज किया गया। वादग्रस्त आराजी रेस्पोंडेंट के पिता द्वारा दिनांक 07.07.1956 को रजिस्टर्ड विक्रय–विलेख से क्रय की गई थीं। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42बी के संशोधित प्रावधान दिनांक 22.09.1956 से प्रभावशील हुआ। अतः प्रार्थी की आराजी धारा 42बी से बाधित नहीं हैं। अतः अपील अपीलांट म्याद बाहर होने से निरस्त फरमावें।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट के पिता पीथा द्वारा रेस्पोंडेंट के पिता सवदा के विरूद्ध वादपत्र प्रस्तुत किया। जो दिनांक 10.09.1968 को दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 29.06.1977 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान की सुनवाई उपरांत गुणावगुण के आधार पर निर्णित करते हुए वादपत्र खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध न्यायालय जिला कलक्टर में रेफरेंस प्रकरण संख्या 72/1991 बअनवान सरकार बनाम पीथा वगैरह दर्ज होकर दिनांक 10.06.1992 को पारित निर्णय अनुसार रेफरेंस प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। उक्त प्रकरण में भी अपीलांट्स के पिता पीथा बतौर अप्रार्थी पक्षकार संयोजित थें। अतः स्पष्ट है कि अपीलांट्स के पिता को अपीलाधीन निर्णय की निर्णय दिनांक से ही बखूबी जानकारी थीं। अपीलांट्स अपीलाधीन निर्णय के वादी पीथा के वारिसान है। अतः यह सहज रूप से स्वीकार्य है कि अपीलांट्स को भी अपीलाधीन निर्णय की बखूबी जानकारी थीं। अपीलांट्स द्वारा यह कथन करना कि उन्हें दिनांक 22.02.2016 से पूर्व अपीलाधीन निर्णय की कोई जानकारी नहीं थीं, पूर्णतया आधारहीन व काल्पनिक कथन है। साथ ही अपीलाधीन निर्णय जो उभयपक्षकारान की सुनवाई उपरांत सक्षम न्यायालय द्वारा गुणावगुण के आधार पर पारित किया गया है। अतः उक्त निर्णय न तो विधिविरूद्ध माना जा सकता है व न ही आरंभतः शून्य माना जा सकता है तथा न ही अपीलांट्स द्वारा इस संबंध में यह स्पष्ट किया है कि अपीलाधीन निर्णय किस प्रकार से विधिविरूद्ध या आरंभतः शून्य है। अतः अपीलांट्स की उक्त उज्र स्वीकार योग्य नहीं हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

4. विलंबकाल माफ करने के संबंध में धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय व राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अधोलिखित प्रकरणों में पारित अभिमत व विनिश्चय अवलोकनीय है :–

1. 2007 (2) RRT 939 (S.C.) – Limitation Act, 1963-Sec. 5-condonation of delay-In-ordinate delay of 3320 days in filing appeal-Delay not properly and satisfactorily explained- Court can not condone the delay on sympathetic grounds-No reason given to condone the inordinate delay-Held, Order is not sustainable and set aside.
2. 2017 (1) RRT 117 (Raj. H.C.) - Limitation Act, 1963-Sec. 5 – Condonation of delay of 2344 days in filing appeal in action or indolence of the part of the litigant- liberal approach can not be adopted otherwise it may render the law of limitation nugatory and otiose – No sufficient cause to explain the delay, Held application and appeal are liable to dismiss.
3. 2024 RBJ 396 (S.C.) – Section 5 & 3 – As the provision of section 3 of limitation act appeal which is prefered after the expiry of limitation is liable to be dismissed. the use of word "shall" in the aforsaid provision cannotes that the dismissal is mandatory subject to the exception section 3 of the act is peremptory and had to be given effect to even though no objection regarding limitation is taken by the other side or refered to in the pleadings. In other words, it casts an obligation upon the court to dismiss and appeal which is beyond limitation. This is general rule of limitation.
4. 2024 RBJ 463 (S.C.) – Section 5 - It hardly matters whether a litigant is a private party or a State or Union of India when it comes to condoning the gross delay of more than 12 years- If

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

the litigant chooses to approach the court long after the lapse of the time prescribed under the relevant provisions of the law- then he cannot turn around and say that no prejudice would be caused to either side by the delay being condoned- This litigation between the parties started sometime in 1981- We are in 2024- Almost 43 years have elapsed- However, till date the respondent has not been able to reap the fruits of his decree- It would be a mockery again ask the respondent to undergo the rigmarole of the legal of justice if we condone the delay of 12 years and 158 days and once proceedings- (ii) The question of limitation is not merely a technical consideration- The rules of limitation are based on the principles of sound public policy and principles of equity- We should not keep the 'Sword period of time to be determined at the whims and fancies of the of Damocles' hanging over the head of the respondent for indefinite appellants. Appeal dismissed

5. हमनें माननीय न्यायालयों द्वारा उपर्युक्त प्रकरणों में प्रतिपादित अभिमत का ससम्मान अध्ययन व अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण की प्रकृति व परिस्थितियां उपर्युक्त प्रकरणों के समान है तथा माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित उपर्युक्त अभिमत हस्तगत प्रकरण में हूबहू चस्पा होते हैं। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में अविश्वसनीय रूप से **17365 दिवस** का अत्यंत दीर्घ विलंब कारित किया है। प्रार्थी द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए तथा विलंब के कारणों के रूप में दर्शित आधार विश्वसनीय, युक्तियुक्त व स्वीकार योग्य नहीं होकर वस्तुतः प्रार्थी की लापरवाही व घोर उदासीनता के कारण विलंब घटित होना साबित है। साथ ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिविरूद्ध नहीं हैं। अतः ऐसी स्थिति में विलंबकाल माफ किये जाने योग्य नहीं हैं तथा प्रार्थी के साथ किसी भी दृष्टि से उदार रूख अपनाया जाना परिसीमा अधिनियम 1963 के विधिक प्रावधानों व मंशा के विपरीत होगा।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि **17365 दिवस का अत्यंत दीर्घ विलंबकाल** माफीयोग्य नहीं होने से प्रार्थी द्वारा विलंबकाल माफ किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होता

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना तथा इसके फलस्वरूप अपील अपीलांट परिसीमा अवधि से बाधित होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

## आदेश

अतः निष्कर्षतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है, फलस्वरूप अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **26.09.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner